(43)

भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. R 1339-I/17 /2017

श्री विनोद भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 8-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-5-17

अशोक कुमार छिब्बर पिता केदारनाथ छिब्बर निवासी– सुन्दरनगर रायपुर जिला– रायपुर छत्तीसगढ़

––आवेदक

विरूद्ध

1. जगदीश प्रसाद,
2. चन्द्रिका प्रसाद पिता गौरीशंकर केशवानी, निवासी– अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–––अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 08-05-2017

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला अूनपपुर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/निगरानी/10–11 में पारित आदेश पारित दिनांक 22/03/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम सकरिया पटवारी हल्का जमूड़ी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 6 रकबा 1.311 हे. भूमि आवेदक स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है।

2. यहकि, अनावेदकगण द्वारा ग्राम सकरिया पटवारी हल्का जमूड़ी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 12 रकबा 1.177 हे. भूमि का सीमांकन भू–अभिलेख अधीक्षक से कराये जाने हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला अनूपपुर के समक्ष दिनांक 10/02/2009 को आवेदन किया गया। विद्वान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार भू–अभिलेख अधीक्षक द्वारा दिनांक 25/06/2009 को सीमांकन किया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार अनूपपुर द्वारा दिनांक 25/07/2009 को की गयी।

3. यहकि, आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय अनूपपुर द्वारा किये गये सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 25/07/2009 के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष पुनरीक्षण किया गया। विद्वान कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 25/01/11 द्वारा आवेदक का

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1339-एक/2017 जिला अनूपपुर अशोक कुमार विरूद्ध जगदीश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव उपस्थित। आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 11/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22-03-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

04/02/19

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 04/02/19 सदस्य	